न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी: कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
इंतकाल अपील : 145/2023
तारीख रजू : 20.09.2023

निर्णय दिनांक : 23.10.2024

उनवान

1. हेमन्त कुमार
2. गजानन्द यादव पुत्रान सरदारसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम जैतपुर तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़। .....अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुमन देवी पुत्री स्व0 बनवारीलाल पत्नि सुकरम पाल जाति अहीर निवासी ग्राम जैतपुर तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ हाल निवासी ग्राम पोस्ट मंदोला तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा। .....रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 13.07.2017 उप तहसीलदार मांढण जिला अलवर राजस्थान इंतकाल सं. 414 ग्राम जैतपुर तहसील नीमराना जिला अलवर सा. विरासत मृतक बनवारीलाल।

उपस्थित :

1. श्री सुरेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विनोद कुमार यादव अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट की ओर से।

।। निर्णय ।।

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 20.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। बाद तलवी उभय पक्षकार की ओर से अधिवक्तागण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 414 दिनांक 13.07.2017 द्वारा उप तहसीलदार, मांढण बाबत आराजी खसरा नम्बर हाल 438 रकबा 0.41 हैक्ट. में से 1/8 हिस्सा वाके ग्राम जैतपुर तह० नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है : इंतकाल सं. 414 दिनाक 13.07.2017 में वर्णित आराजी हाल खसरा नंबर 438 रकबा 0.41 हैक्टर में से 1/8 हिस्सा स्थित ग्राम जैतपुर तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान का अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार अपीलान्टस का ताऊ श्री बनवारीलाल पुत्र श्री प्रहलाद जाति अहीर निवासी ग्राम जैतपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान था। जिसका स्वर्गवास दिनांक 23.03.2017 को हो चुका है। उक्त आराजी श्री बनवारीलाल मृतक की खरीदशुदा निजी पैदाकर्दा आराजी हैं। जिस पर श्री बनवारीलाल अपने जीवनकाल तक काबिज रहे। श्री बनवारीलाल ने अपने जीवनकाल में बदुरूस्ती होश हवास सचेत अवस्था में अपनी उक्त आराजी की वसीयत अपने भतीजो अपीलान्टस के हक में दिनांक 08.08.2011 को गवाहान की उपस्थिति में तहरीर व तकमील कराकर नोटेरी पब्लिक नीमराना से पंजीबद्ध करायी गई है। जिस आराजी पर बनवारीलाल के स्वर्गवास उपरांत हम अपीलान्टस वर्तमान में मौके पर काबिज चले आ रहे हैं, और हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजी से रैस्पाडेन्ट का

सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

कोई सम्बन्ध, वास्ता, सरोकार व कब्जा ना तो कभी रहा, ना वर्तमान में है। रैस्पाडेन्ट अपनी ससुराल में रहती हैं, जो उक्त आराजी से गैरकाबिज एंव गैरवास्ता है। हम अपीलान्टस द्वारा श्रीमान तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राजस्थान के समक्ष दिनांक 16.05.2017 को प्रार्थनापत्र वसीयत के आधार पर उक्त आराजी का इंतकाल विरासत बनवारीलाल हम अपीलान्टस के हक में दर्ज व तस्दीक करने के लिए पेश किया गया। जिस पर तहत अदालत द्वारा अपीलान्टस व वसीयत के गवाह को बयान हेतु उपस्थित होने के लिए दिनांक 13.07.2017 को नोटिस जारी कर दिनाक 25.10.2017 उपस्थित होने के लिए नियत की थी। लेकिन उक्त प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करने से पहले ही रैस्पाडेन्ट द्वारा पटवारी हल्का आदि से साजबाज होकर इंतकाल विरासत मृतक बनवारीलाल दिनांक 13.07.2017 को अपने हक में दर्ज व तस्दीक करा लिया। जो गैरकानूनी एंव असंवैधानिक हैं। जबकि मृतक बनवारीलाल की विरासत का इंतकाल उक्त वसीयतनामा के आधार पर कानूनन हम अपीलान्टस के हक में दर्ज व तस्दीक किया जाना न्यायोचित एंव अतिआवश्यक हैं। हम अपीलान्टस का ताऊ मृतक बनवारीलाल अपने जीवनकाल में हमारे साथ ही रहन सहन भरण पोषण करता था. तथा उनकी सेवा–टहल भी हम अपीलान्टस् ही करते थे। उसकी पत्नि का देहांत हो चुका था। उक्त आराजी बनवारीलाल की खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पत्ति हैं, जिसकी वसीयत हम अपीलान्टस के हक में करने का नैतिक एंव कानूनी अधिकार बनवारीलाल को था। रेस्पाडेन्ट मृतक बनवारीलाल की पुत्री हैं, जो अपने ससुराल में रहती है। हम अपीलान्टस की सेवाओ से खुश व संतुष्ट होकर बनवारीलाल द्वारा वसीयत की गई हैं। जिसकी पूरी जानकारी रैस्पाडेन्ट को भलीभांति रही है। रैस्पाडेन्ट उक्त आराजी से गैरकाबिज एंव गैरवास्ता हैं। उक्त आराजी के बारे में रैस्पाडेन्ट को कोई राईट, टाईटल व इन्टरेस्ट पैदा नही होता है। तहत अदालत को भी वसीयत की जानकारी रही हैं। तहत अदालत के समक्ष रैस्पाडेन्ट के मृतक का वारिस होने बाबत कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं हुआ है। तहत अदालत द्वारा वारिसान की कोई जांच नहीं की गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.07.2017 को इंतकाल भरा गया हैं, जिस पर उसी दिन आई एल आर द्वारा जांच की गई हैं. और उसी दिन तहत अदालत द्वारा तस्दीक किया गया है। एक ही दिन में समस्त कार्यवाही रैस्पाडेन्ट से साजबाज कर नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से की गई है। इसलिए अपीलाधीन आज्ञा विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गई है। तहत अदालत ने ना तो मौके का निरीक्षण ही किया, और नाही अपीलान्ट को सुनवाई एंव साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर ही दिया। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर आज्ञा दिनांक 13.07.2017 उप तहसीलदार मांढण जिला अलवर राजस्थान इंतकाल सं. 414 ग्राम जैतपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज विरासत मृतक बनवारीलाल निरस्त फरमायी जावे।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को जाहिर करते हुए निवेदन किया कि बनवारीलाल पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी जैतपुर तहसील नीमराना ने दिनांक 08.01.2011 को आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 0.41 हैक्ट. में से 1/8 हिस्सा वाके ग्राम जैतपुर तह० नीमराना की वसीयत हेमन्त कुमार व गजानन्द यादव पुत्रान सरदार सिह जाति अहीर निवासीयान जैतपुर तहसील नीमराना के हक में जरिये वसीयतनामा करवाई थी। अपीलान्ट के ताउजी बनवारीलाल की फौत दिनांक 23.03.2017 को शाम साढे चार बजे हो गइ थी। वसीयतनामा के आधार पर अपीलान्ट के

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

हक में विरासत का इंतकाल दर्ज व तस्दीक किया जाना न्यायोचित एवं अति आवश्यक है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय मे मौका निरीक्षण किये बिना तथा अपीलान्ट को बिना सुने साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर ना दिया जाकर इंतकाल संख्या 414 दिनांक 01.07.2017 स्वीकार किया गया हैं। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त इंतकाल संख्या 414 दिनांक 01.07.2017 वाके ग्राम जैतपुर तह० नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड को निरस्त फरमाया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या ने उपस्थित होकर वकील अपीलान्ट के कथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि इंतकाल सं0 414 दिनांक 01.07.2017 उपतहसीलदार मांढण द्वारा कानून के अनुरूप दर्ज किया गया है क्योकि मृतक बनवारीलाल पुत्र प्रह्लाद की एकमात्र वारिस सुमन देवी पत्नी सुकरम पाल जाति अहीर निवासी ग्राम जैतपुर तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ हाल निवासी ग्राम पोस्ट मंदोला तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा है तथा मृतक का अन्य कोई वारिस नही है। मृतक की पत्नी सावित्री देवी की भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए दर्ज किया गया इंतकाल कानूनन निरस्त किये जाने योग्य नही है। इस स्थिति में अपीलान्ट द्वारा दायर अपील श्रवण योग्य नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व तहत का रिकार्ड का गहनता से अवलोकन से जाहिर होता है कि बनवारीलाल पुत्र प्रह्लाद की एकमात्र वारिस सुमन देवी पत्नी सुकरम पाल जाति अहीर निवासी ग्राम जैतपुर तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ हाल निवासी ग्राम पोस्ट मंदोला तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा है जिसके पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बनवारीलाल पुत्र प्रह्लाद की पैतृक संपत्ति के आधार पर रेस्पोडेण्ट के हक में इंतकाल संख्या 414 दिनांक 01.07.2017 नामांतकरण उपतहसीलदार मांढण द्वारा तस्दीक किया गया है। इस प्रकार तहत न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधिवत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट के द्वारा वर्णित तथ्य प्रकरण में चस्पा नहीं होते है जबकि वकील रेस्पोडेण्ट की बहस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। तहत का रिकार्ड मय निर्णय कॉपी वापिस भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़